फर्द अहकाम

विमला जैन बनाम राजस्थान सरकार

पत्र संख्या: 30 / 2022

	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
924	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण उपस्थित । अप्रार्थी तहसीलदार सांगानेर की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो पत्रावली में शामिल मिसल है।	

पत्रावली में बहस प्रार्थीया अधिवक्ता सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गत खसरा नम्बर 3383 रकबा 26 बीघा 5 बिस्वा किस्म बंजड के अनुसार साबिका खसरा नम्बर 21 रकबा 1 बीघ 5 बिस्वा किस्म डहरी अव्वल एवं साबिका खसरा नम्बर 405 रकबा 8 बिस्वा किस्म डहरी अव्वल को तथा हाल खसरा नम्बर 25 रकबा 0.33 हैक्टेयर किस्म खातली एवं खसरा नम्बर 26 रकबा 0.09 हैक्टेयर किस्म खातली को दुरस्त किया जाकर हाल खसरा नम्बर 25 एवं खसरा नम्बर 26 की किस्म बंजड दर्ज किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावें।

बहस प्रार्थीया अधिवक्ता एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र साबित नही होने के कारण प्रार्थीया की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2024 को सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.30 15:51:23 IST
Reason: SelfAttested